14/01/25 अधिवक्तागण उपस्थित। वादी द्वारा विक्रय प्रस्ताव बाबत No objection टिप्पणी अंकित की गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21.01.25 को पेश हो।

No objection [illegible]
Please [illegible]

Vimal [illegible]
14.1 [illegible]

21/01/25 अधिवक्तागण उपस्थित। मुताबिक निलामी [illegible] [illegible] पर [illegible] किया जाकर विस्तृत निविदा प्राप्त कर [illegible] जाकर नीलामी किया गया। नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त होने पर बिक्री जारी होगी। पत्रावली नत्थी हो।

23/01/25 अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा आदेशानुसार स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये गये। अतः परचा बिक्री जारी की जाती है। पत्रावली [illegible] [illegible] को पत्रावली [illegible] [illegible] के शामिल हो। जाकर निविदा की [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी— श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 40/2019
अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीभगवान पुत्र श्री बेगा जाति जाट ---(फौत)

1/1 मोहरां देवी धर्मपत्नी श्रीभगवान जाति जाट साकिन वार्ड नं0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

1/2 अजय चौधरी पुत्र श्रीभगवान जाति जाट साकिन वार्ड नं0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

1/3 सुनीता पुत्री श्रीभगवान पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ....**वादीगण**

ब ना म

1. राजेन्द्र पुत्र श्री धनराज अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. राकेश पुत्र श्री धनराज अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. नाथी देवी पत्नी श्री धनराज अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. इन्द्राज पुत्र श्री भागीरथ अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. बृजलाल पुत्र श्री भागीरथ अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. बलराम पुत्र श्री भागीरथ अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
8. पी.एस.बी. बैंक शाखा चूनावढ़।
9. कोर्पोरेशन बैंक शाखा ततारसर।
10. एस बी बी जे शाखा चूनावढ़।
11. विनोद पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. इन्द्राज पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...**प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगान

उपस्थित— श्री विक्रम बिश्नोई (वादीगण)
श्री बलराम स्वामी (प्रतिवादी 01—03)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी 04—06)
श्री जितेन्द्र किनरा (प्रतिवादी 09)
श्री भगवान दास सिडाना (प्रतिवादी 10)
श्री मोहनलाल माहर (प्रतिवादी 11 व 12)
श्री [illegible] पैरोकार (प्रतिवादी 07)

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

दि. 21 जनवरी, 2025

—निर्णय—

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के पिता बेगा पुत्र नन्दा के नाम वाके चक 12 एल एल के खाता संख्या 53 की मुरब्बा नं. 10 मे 23.10 बीघा, मुरब्बा नं. 11 मे 24.10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 26 मे 24 बीघा, मुरब्बा नम्बर 32 की 24.10 बीघा 33 मे 23.04 बीघा कुल 119 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज कागजात माल थी। वादग्रस्त भूमि के

शाश्वत व्यादेश इस आशय का प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भू भाग को रहन बैय अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे। वादी व प्रतिवादी ने रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 22–03–1961 अनुसार भूमि आपस मे बांट रखी है, और इस अनुसार ही वाद का प्रत्येक पक्षकारान भूमि पर काबिज है और वादी रजिस्टर्ड बंटवारानामा से प्राप्त भूमि ही भूमि विभाजन मे वादी प्राप्त करना चाहता है और दावेदार है। राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त भूमि संयुक्त है, वादी ने प्रतिवादी से वादी को रजिस्टर्ड बंटवारा दिनांक 22–03–1961 के आधार पर बंटवारा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण आज कल करते रहे और दिनांक 10–05–2019 को ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र मे होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अर्न्तगत आता है तथा उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिग्री किया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि रजिस्टर्ड बंटवारा दिनांक 22–03–1961 के आधार पर वादी वाके चक 12 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 21/19 की 32.2830 हैक्टयर भूमि मुरब्बा नं. 33 सालम, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 2 ता 6, मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6, 15 ता 25 का खातेदार है।

(ख) वादी के नाम दर्ज भूमि का अलग खाता कायम किया जावे व लगान का निर्धारण किया जावे।

(ग) प्रतिवादीगण के विरूद्ध शाश्वत आदेश इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को बंटवारा दिनांक 22–03–1961 मे प्राप्त भूमि को शामिल कर संयुक्त भूमि का नाम देकर किसी अन्य को रहन बैय व दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से दिनांक 21.10.2019 को, प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से दिनांक 20.07.21 को, प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से दिनांक 04.04.2022 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 17.10.2023 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 11.06.2024 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। वादीगण की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नाई एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एवं प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 06 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैंः–

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी प्रथम पक्ष को मुरब्बा नं. 33 के किला नं. ... ता 2... की 6.325 हैक्ट0 भूमि व मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 2 ता 7 की 1.518 हैक्ट0 ... नं. 8 की 0.063 है0 की भूमि व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6 की 0.203 है0, ... नं. 15 ता. 19 प्रत्येक सालम, किला नं. 20 में 0.228 है०, किला नं. 21 में 0.20[illegible] है०, किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं. 25 में 0.227 है0 कुल तादादी 10.715 हैक्टयर की भूमि प्राप्त हुई हैं। **द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र, राकेश, नाथी** को मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 2 ता 25 की 6.072 हैक्टयर भूमि व मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 6 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 में 0.227 है०, किला नं. 2 ता 5 प्रत्येक सालम, किला नं. 6 में 0.050 है0, किला नं. 7 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं. 10 की 0.228 है0: किला नं. 11 की 0.228 है0, किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक सालम कुल 3.263 है कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:15 IST
Reason: Self Attested

तादादी 10.853 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई हैं। **द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, बृजलाल, बलराम** को मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 25 का भाव व स्नेह था और परन्तु उक्त वाद के काफी समय से चले आने से और इसके जल्द समाप्त होने की सम्भावना नजर नहीं आने से लोक अदालत की भावना से व रिश्तेदारों की राय से पक्षकारान ने उपरोक्त शीर्षक के वाद आपसी विवाद का निपटारा कर लिया हैं और इसके फलस्वरूप उपरोक्त शीर्षक के वाद में निम्न प्रकार से राजीनामा कर लिया हैं:–

वादी प्रथम पक्ष को मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टयर भूमि व मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 2 ता 7 की 1.518 है0, किला नं. 8 की 0.063 है0 की भूमि व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6 की 0.203 है0, किला नं. 15 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं. 20 में 0.228 है0, किला नं. 21 में 0.202 है0, किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक में 0.228 है0, किला नं. 25 में 0.227 है0 कुल तादादी 10.715 हैक्टयर की भूमि प्राप्त हुई हैं। **द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र, राकेश, नाथी** को मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 2 ता 25 की 6.072 हैक्टयर भूमि व मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 6 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 में 0.227 है0, किला नं. 2 ता 5 प्रत्येक सालम, किला नं. 6 में 0.050 है0, किला नं. 7 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं. 10 की 0.228 है0: किला नं. 11 की 0.228 है0, किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक सालम कुल 3.263 है0 कुल तादादी 10.853 हैक्टयर भूमि प्राप्त हुई हैं। **द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, बृजलाल, बलराम** को मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हेक्टयर भूमि, मुरब्बा न. 34 के किला नं. 8 की 0.190 है0, किला नं. 9 सालम, किला नं. 10 की 0.228 है0, किला नं. 11 की 0.228 है0, किला नं. 12 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं. 20 की 0.228 है0, किला नं. 21 की 0.227 है0, किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक सालम की कुल 4.390 हैक्टयर कुल तादादी 10.715 हैक्टे0 भूमि प्राप्त हुई हैं। इस संयुक्त खाता में से द्वितीय पक्ष इन्द्राज ने अपना हिस्सा में से 3 बीघा भूमि इन्द्राज, विनोद पिसरान श्री मोहनलाल जाति व माझे कुम्हार को विक्रय कर दी हैं और मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 21, 22, 23 का कब्जा खरीददारान इन्द्राज, विनोद पिसरान श्री मोहनलाल जाति कुम्हार को दे दिया हैं। मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 6 की भूमि द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र, राकेश व नाथी को प्राप्त हुई हैं, मुरब्बा नं. 23 की 6 बीघा भूमि के लिए पक्षकारान के पास कोई रास्ता नहीं हैं इसलिए प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, बृजलाल व बलराम 8 बिस्वा भूमि द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र, राकेश व नाथी को देगें, यह 8 बिस्वा भूमि मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6 में से 8 बिस्वा भूमि किला नं. 7 से प्रथम पक्ष देगा और प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, बृजलाल व चिपती हुई बलराम द्वारा 0.063 हैक्टयर भूमि मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 8 में से 0.063 हैक्टयर किला नं. 7 से चिपती हुई प्रथम पक्ष को देगें और और उक्त भूमि की पैमाईशी करवाकर एक– दूसरे पक्षकार का सहयोग कर राजीनामा अनुसार भूमि प्राप्त करने में सहमत है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2024 को केतागण इन्द्राज, विनोद कुमार पिसरान मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी ततारसर निवासी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा दिनांक 22.08.2024 को उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा सहमति के हस्ताक्षर अंकित किये गये।

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात् वकील उभयपक्ष के निवेदन पर वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 6018 दिनांक 28.11.2024 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:39:15 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेश:—

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक 12 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 21/19 के मुरब्बा नं0 11, 12,

27, 33, 34 की कुल 32.2830 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादीगण एवं वादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है:– श्रीभगवान पुत्र बेगा जाति जाट को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 33 के किला 1 ता 25 की 6.325 हैक्ट0 नहरी मय खाला, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 2 ता 7 की .518 हैक्ट0 नहरी मय खाला, किला नं. 8 की 0.067 है0 पूर्व दिशा किला नं0 7 से चिपती व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6 की 0.224 है0 पूर्व, किला नं. 15 की 0.224 हैक्टे0 पूर्व, किला नं0 16 ता. 19 की 1.012 हैक्टे0, किला नं. 20 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 21 की 0.202 हैक्टे0, किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 25 में 0.227 हैक्टे0 नहरी इस प्रकार कुल तादादी 10.711 हैक्ट0 नहरी मय खाला कृषि भूमि, **द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र पुत्र धनराज, राकेश पुत्र धनराज, नाथी पत्नी धनराज जाति जाट** को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 2 ता 25 की 6.072 हैक्टयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 6 की 1.518 हैक्टे0 नहरी व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 की 0.227 है0, किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टे0, किला नं. 6 की 0.029 हैक्टे0 पश्चिम दिशा किला नं0 7 से चिपता, किला नं. 7 ता 9 की 0.759 हैक्टे0, किला नं. 10 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 11 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 12 ता 14 की 0.759 हैक्टे0, किला नं0 15 की 0.029 हैक्टे0 पश्चिम दिशा किला नं0 14 से चिपति, इस प्रकार कुल तादादी 10.861 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, **द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, बृजलाल, बलराम पिसरान भागीरथ जाति जाट** को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हेक्टे0 नहरी मय खाला, मुरब्बा न. 34 के किला नं. 8 की 0.186 हैक्टे0 पश्चिम किला नं0 9 से चिपता, किला नं. 9 की 0.253 हैक्टे0, किला नं. 10 की 0.228 है0, किला नं. 11 की 0.228 है0, किला नं. 12 ता 19 की 2.024 हैक्टे0, किला नं. 20 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 24 की 0.227 हैक्टे0 पूर्व किला नं0 25 के साथ चिपता, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टे0, इस प्रकार कुल तादादी 9.952 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भमि हैक्टे0 भूमि तथा **द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, विनोद कुमार पिसरान मोहन लाल जाति कुम्हार को** चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 21 की 0.227 हैक्टे0, किला नं0 22 की 0.253 हैक्टे0, किला नं0 23 की 0.253 हैक्टे0, किला नं0 24 की 0.026 हैक्टे0 पश्चिम, किला नं0 23 से चिपता, इस प्रकार कुल तादादी 0.759 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि।

वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना व्यय करेगें। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर डिकी पर्चा जारी हो।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 जनवरी, 2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

(आर.जे.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 40/2019
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीभगवान पुत्र श्री बेगा जाति जाट ——(फौत)
1/1 मोहरां देवी धर्मपत्नी श्रीभगवान जाति जाट साकिन वार्ड नं0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
1/2 अजय चौधरी पुत्र श्रीभगवान जाति जाट साकिन वार्ड नं0 16 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
1/3 सुनीता पुत्री श्रीभगवान पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

....वादीगण

ब ना म

1. राजेन्द्र पुत्र श्री धनराज अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. राकेश पुत्र श्री धनराज अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. नाथी देवी पत्नी श्री धनराज अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. इन्द्राज पुत्र श्री भागीरथ अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. बृजलाल पुत्र श्री भागीरथ अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
6. बलराम पुत्र श्री भागीरथ अगवाम जाट निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
8. पी.एस.बी. बैंक शाखा चूनावढ़।
9. कोर्पोरेशन बैंक शाखा ततारसर।
10. एस बी बी जे शाखा चूनावढ़।
11. विनोद पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. इन्द्राज पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विक्रम बिश्नोई (वादीगण)
श्री बलराम स्वामी (प्रतिवादी 01–03)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी 04–06)
श्री जितेन्द्र किनरा (प्रतिवादी 09)
श्री भगवान राम सिहाग (प्रतिवादी 10)
श्री मोहनलाल चाहर (प्रतिवादी 11 व 12)
श्री राज पारीकार (प्रतिवादी 07)

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:00:15 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 23 जनवरी, 2025

वादपत्र संख्या 40/2019
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई, प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी,प्रतिवादी 04 ता 06 के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा, प्रतिवादी 09 के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र किनरा, प्रतिवादी 10 के अधिवक्ता श्री भगवान दास सिडाना, प्रतिवादी 11 व 12 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल माहर तथा पैरोकार राज प्रतिवादी–07 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

चक 12 एल एल के जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 21/19 के मुरब्बा नं0 11, 12, 23, 27, 33, 34 की कुल 32.2830 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है:– **वादी श्रीभगवान पुत्र बेगा जाति जाट** को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्ट0 नहरी मय खाला, मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 2 ता 7 की 1.518 हैक्ट0 नहरी मय खाला, किला नं. 8 की 0.067 है0 पूर्व दिशा किला नं0 7 से चिपती व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 6 की 0.224 है0 पूर्व, किला नं. 15 की 0.224 हैक्टे0 पूर्व, किला नं0 16 ता. 19 की 1.012 हैक्टे0, किला नं. 20 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 21 की 0.202 हैक्टे0, किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 25 में 0.227 हैक्टे0 नहरी इस प्रकार कुल तादादी 10.711 हैक्ट0 नहरी मय खाला कृषि भूमि, **द्वितीय पक्ष के राजेन्द्र पुत्र धनराज, राकेश पुत्र धनराज, नाथी पत्नी धनराज जाति जाट** को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 2 ता 25 की 6.072 हैक्टयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1 ता 6 की 1.518 हैक्टे0 नहरी व मुरब्बा नं. 27 के किला नं. 1 की 0.227 है0, किला नं. 2 ता 5 की 1.012 हैक्टे0, किला नं. 6 की 0.029 हैक्टे0 पश्चिम दिशा किला नं0 7 से चिपता, किला नं. 7 ता 9 की 0.759 हैक्टे0, किला नं. 10 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 11 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 12 ता 14 की 0.759 हैक्टे0, किला नं0 15 की 0.029 हैक्टे0 पश्चिम दिशा किला नं0 14 से चिपति, इस प्रकार कुल तादादी 10.861 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि, **द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, बृजलाल, बलराम पिसरान भागीरथ जाति जाट** को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टे0 नहरी मय खाला, मुरब्बा न. 34 के किला नं. 8 की 0.186 हैक्टे0 पश्चिम किला नं0 9 से चिपता, किला नं. 9 की 0.253 हैक्टे0, किला नं. 10 की 0.228 है0, किला नं. 11 की 0.228 है0, किला नं. 12 ता 19 की 2.024 हैक्टे0, किला नं. 20 की 0.228 हैक्टे0, किला नं. 24 की 0.227 हैक्टे0 पूर्व किला नं0 25 के साथ चिपता, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टे0, इस प्रकार कुल तादादी 9.952 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भमि हैक्टे0 भूमि तथा **द्वितीय पक्ष के इन्द्राज, विनोद कुमार पिसरान मोहन लाल जाति कुम्हार** को चक 12 एल एल के मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 21 की 0.227 हैक्टे0, किला नं0 22 की 0.253 हैक्टे0, किला नं0 23 की 0.253 हैक्टे0, किला नं0 24 की 0.026 हैक्टे0 पश्चिम, किला नं0 23 से चिपता, इस प्रकार कुल तादादी 0.759 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि। अतः डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा [illegible] ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक [illegible]

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23 जनवरी, 2025 को जारी की गयी.

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested